जवाबदेही कानून राजस्थान के विशेष संदर्भ में

रितेश भरद्वाज

हम सभी के जीवन में सूचना के अधिकार का अत्यंत महत्व है। यह सामाजिकए राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति का अप्रत्यक्ष साधन है। विश्व में अधिकतर देशों ने इस अधिकार के महत्व को मान्यता प्रदान की है। प्रायः समस्त देशों ने इच्छुक व्यक्ति को आवश्यक सूचना या जानकारी प्रदान करने पर बल दिया है ताकि यह अधिकार सरकार के उत्तरदायित्वए जवाबदेही एवं पारदर्शिता का एक प्रमुख उदाहरण बन सके। सूचना शब्द अंग्रेजी भाषा के Information से उत्पन्न हुआ है जिसे लैटिन शब्द में प्दवितउंतम कहा गया हैए जिसका अभिप्राय है कोई आकार देनाए जानकारी देनाए कोई प्रारूप व संरचना बनाना। सन् 1966 में सूचना शब्द के लिये रूस के वैज्ञानिक मिखाइलोव एवं उनके दो सहयोगियों द्वारा अपने एक संयुक्त लेख में सूचकी शब्द का प्रयोग किया गया था। इनके अनुसार सूचना के अभिलेखनए विश्लेषी-संश्लेषी-प्रस्तुतीकरण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, एवं प्रसार सम्बन्धी प्रक्रियाएँ ही सूचकी का क्षेत्र है।

स्वीडन को विश्व में प्रेस की स्वतन्त्रता कानून बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। यह अधिनियम स्वीडन में 1766 में बनाया गया था और सूचना को स्वतन्त्रता प्रदान करने वाला विश्व का सर्वाधिक पुरातन संविधान स्वीडिश संविधान है। स्वीडन के नागरिकों के लिये यह अधिकार ष्प्रेस आजादी अधिनियमष् रूपी संवैधानिक प्रस्ताव के अन्तर्गत 1766 में अपनाया गया। यह स्वीडन के चार मूलभूत कानूनों में से एक है। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में वहाँ की दो राजनैतिक पार्टियों - दी हैट्स और दी कैप्स के बीच भीषण संघर्ष के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था। दी हैट्स गोपनियता के पक्षधर थे और दी कैप्स पारदर्शिता के और 1765 में हुए चुनाव में यही मुख्य मुद्दा बन गया। इस कानून में प्रेस की

स्वतन्त्रता से सम्बन्धित विविध पहलुओं के साथ.साथ सात प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त कोई भी सूचना वहाँ का नागरिक प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रमण्डल देशों में सूचना की स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानून बनाए व लागू किए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिकाए फ्रांसए डेनमार्कए आस्ट्रियाए नीदरलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड, नार्वे में भी इस प्रकार के कानून लागू है। केवल विकसित देश ही नहीं अपितु दक्षिण अफ्रीका व मलेशिया आदि विकासशील देशों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं।

भारत में बनाए गए सूचना विषयक कानूनों का जहाँ तक प्रश्न हैए सबसे पहले सूचना के अधिकारों के बारे में गोवा राज्य को शुरुआत करने का श्रेय जाता हैए परन्तु कानून बनाकर 1997 में लागू करने के मामले में तमिलनाडु सरकार को प्रथम श्रेय जाता है। केन्द्र में भाजपानीत केन्द्र सरकार की पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे ने सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियमए 2002 को सदन के पटल पर रखा और संसद में ध्वनिमत से पारित;16 दिसम्बर 2002 करवाया था और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून देश में 6 जनवरीए 2003 को लागू किया गया थाए परन्तु इस अधिनियम से पूर्व सूचना के अधिकार विषयक विधेयक अधिनियम गोवा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, उड़िसा, गुजरात में इन प्रान्तों की विधानपालिकाओं ने पारित कर अपने.अपने राज्यपालों के हस्ताक्षर करवाकर लागू करवाए थे। भारतीय संसद ने प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के सत्ता में आने पर 11 मई 2005 को 'सूचना का अधिकार' अधिनियम पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सारे भारत में लागू हो गया और इसी के साथ ष्सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया।

सूचना और ष्सूचना के अधिकारष् को सूचना के अधिकार अधिनियमए 2005 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है . धारा 2;चद्ध ष्सूचनाष् से किसी भी रूप में कोई सामग्री, जिसमें अभिलेखन, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदाएँ, रिपोर्ट, कागजात, नमूने माडल किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल होते हैं तथा किसी निजी निकास से सम्बन्धित सूचना अभिप्रेत है, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुँचा जा सकता है।

सूचना के अधिकार का उल्लेख हमें सबसे पहली बार 10 दिसम्बर 1948 के मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र में देखने को मिलता है। भारत में 1977 में ही सूचना के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में प्रयास शुरु हो गए थे। राजस्थान में सबसे पहले मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सूचना के अधिकार की माँग की गई। इस संगठन के अन्तर्गत मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय राजस्थान के दवंडगूरी क्षेत्र में सूचना के अधिकार का आन्दोलन चला रही थी। इस दौरान आन्दोलन का मंत्र था 'जानकारी ही लोकतंत्र का आधार है' राजस्थान में सूचना का अधिकार पाने के लिये पहली जनसभा वर्ष 1992-93 में हुई और 50 दिनों के लम्बे संघर्ष व धरना प्रदर्शन के बाद 1 मई 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम बना। प्रस्तुत लेख में समकालीन समय में राजस्थान में हुई सौ दिवसीय जवाबदेही यात्रा के उद्देश्यए प्रासंगिकता और जमीनी हकीकत का विश्लेषण किया गया है। चूँकि सूचना के अधिकार का प्रथम आन्दोलन मजदूर किसान शक्ति संगठन के तत्वाधान में राजस्थान में हुआ था और इसके अगले चरण; राज्य स्तरीय जवाबदेही यात्रा के रूप में 1 दिसम्बर 2015 से 9 मार्च 2016 तक 100 से अधिक जन संगठनों द्वारा संचालित जवाबदेह यात्रा से जवाब दो धरने को देखा जा सकता है।

ष्जवाब दो धरनेष्ने पूरे राजस्थान में ष्जवाबदेही कानून ष्बनाने की एक अनूठी मुहिम शुरु की है। प्रदेशभर में 100 से अधिक संगठनों ने सामूहिक मंच ष्सूचना एवं रोजगार

अधिकार अभियानए राजस्थान द्वारा लड़ी जा रही यह कोई पहली लड़ाई नहीं है। सूचना रोजगार अभियान ने ही देश में सूचना के अधिकार कानूनए 2005 और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानूनए 2006 जैसे कानूनों को पारित और लागू करने की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज भी लड़ रहा है। इस धरने में आए सैकड़ों लोगों ने ना सिर्फ सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करने के लिये ठोस कानून लाने के लिये आवाज उठाई बल्कि एक दर्जन से ज्यादा जन सुनवाइयों में सामाजिक क्षेत्र के लगभग हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बातों को सबके सामने रखा। सौ दिवसीय जवाबदेही यात्रा राजस्थान के 33 जिलों से होकर गुजरी। इस दौरान राजस्थान सरकार के ग्रिवेंस पोर्टल पर करीब दस हजार से ज्यादा समस्याएँ दर्ज कराई गईं। यदि बीते दशक के दौरान दर्ज कराए गएए आरटीआई के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आरटीआई इस्तेमाल केवल सूचना हासिल करने के माध्यम के रूप में ही नहीं किया गया बल्कि बुनियादीए सुविधाएँ मुहैया कराने की गरज से सरकारी अधिकारियों को दबाव में लाने के लिए भी इस व्यवस्था का उपयोग किया गया। उपरोक्त जवाबदेही यात्रा की प्रमुख माँग थी कि ष्राजस्थान भागीदारी, जवाबदेही और सामाजिक अकेक्षण बिलए 2016 जिसका मसौदा सूचना रोजगार अभियान ने बनाया है, पर राजस्थान सरकार तुरंत व्यापक विमर्श एवं संवाद आयोजित कर इस कानून को पारित करे। इस कानून के माध्यम से निम्न माँगे रखी गई हैं -

1 सभी सरकारी कर्मचारियों के स्पष्ट जाब चार्ट बनाना अनिवार्य करना।

2 कानून बनाने से पहले अनिवार्य जनपरामर्श की व्यवस्था द्वारा यह कानूनों और नीतियों के निर्माण में जनसहभागिता को सुनिश्चित करता है।

3 शिकायत निवारण के लिये सूचना के अधिकार कानून की तर्ज पर एक स्वतन्त्र और मजबूत शिकायत निवारण आयोग की स्थापना की माँग करता है। यह कानून दोषी

सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और जनता को क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा भी दिलाएगा।

4 सरकार की ओर से आम नागरिकों को मिलने वाले सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी के लिये प्रत्येक विभाग को अपना सिटिजन चार्टर तैयार करना होगाए जिसमें सभी सरकारी सुविधाओं का जिक्र होना चाहिये व साथ ही सुविधाओं को प्रदान करने की समय सीमा भी होनी चाहिये। सुधार के लिये चार्टर की साल में एक बार समीक्षा भी होनी चाहिये। चार्टर को तैयार करनाए अपडेट रखना सम्बन्धित विभाग की जिम्मेदारी होगी और अगर चार्टर के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

5 सभी पंचायत और ब्लाक कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा युक्त सूचना एवं सुविधा केन्द्र होना चाहिये। ये केन्द्र सामान्य प्रशासनिक एजेंसियों से स्वतन्त्र होने चाहिये। केन्द्र का काम शिकायतों का पंजीयनए उनका निवारणए सामाजिक अंकेशण में सहभागी होनाए जिला शिकायत निवारण प्राधिकरण में अपील दाखिल करना होना चाहिये।

6 सामाजिक अकेशण एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया होगीए योजना निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तकए निगरानी व आंकलन तक सभी साझेदार प्रत्येक चरण में शामिल होंगे। इस कार्य की पूर्ति हेतु एक सामाजिक अकेशण निदेशालय का गठन भी किया जाना चाहिये।

7 सभी शिकायतकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के भीतर सुनवाई का अधिकार होना चाहिये। यह ब्लाक स्तर पर एक खुला मंच होना चाहिये। इसकी अध्यक्षता सब डिविजनल मजिस्टेट करेंगेए जिनके सामने

जनता अपनी शिकायत रखेंगे और विभाग समय सीमा के भीतर मामले की स्थिति या फैसले को बताएगा।

8 सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक कार्यक्रम के लिये यह जरूरी हो जाएगा कि वह अपने कुल बजट के एक प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल पारदर्शिताए जन भागीदारीए जन निगरानी और आम लोगों केन्द्रित जवाबदेही व्यवस्था के लिये करे।

9 जवाबदेही तंत्र को विकसित करने के लिये शिकायत निवारण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायत मिलने के तीन सप्ताह के भीतर उसका उचित निस्तारण करे। इसमें 15 दिनों के अन्दर जनसुनवाई का आयोजनए शिकायतकर्ता और जिस सरकारी अधिकारी की शिकायत की गई हैए दोनों की मौजूदगी में एक जाँच का आयोजन भी शामिल है। यदि किसी शिकायत का समाधान एक महीने के भीतर नहीं हो पाता है तो वह अपने आप जिला शिकायत निवारण प्राधिकरण में चला जाएगा और यह अपने आप होगा अर्थात् कोई अपील करने की जरूरत नहीं होगी। डीजीआरए यक्पेजतपबज ळतपमअंदबम त्मकतमेेंस ।बजद्ध एक स्वतन्त्र प्राधिकरण हो जो जिला स्तर की शिकायतों पर विचार करेगा।

यहाँ यह बताना उल्लेखनीय होगा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य हैए जहाँ सुनवाई के अधिकार का कानून 2012 में बना। वर्तमान सरकार भी लम्बे समय से शिकायत-निवारण के लिये एक सुशासन कानून लाने का वादा करती रही हैए लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जवाबदेही यात्रा राजस्थान के 3 जिलों मे से प्रत्येक में तीन दिनों तक ठहरी। प्रत्येक जिले में 3-5 गाँवों और अर्द्धशहरी इलाकों का चयन किया गयाए जहाँ से लगभग 80 प्रतिभागियों ने छोटी रैलियां नगरों से गुजारते हुए निकालीं और सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं। नारों, गीतों, नाटिकाओं और भाषणों के माध्यम से

जवाबदेही पर चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान किया। लोगों के निगरानी दस्ते ने स्कूलए अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन की दुकानों जैसे सरकारी संस्थाओं का गहन अध्ययन किया और इन संस्थाओं की सेवाओं पर जनता की प्रतिक्रियाओं पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्टों से बेहद निराशाजनक स्थिति की जानकारी मिली। पता चला कि संस्थान तमाम ढाँचागत कमियों के साथ ही मानव संसाधनों की घोर कमी का सामना कर रहे हैं। कई ऐसे स्कूल थे, जहाँ शिक्षकों की बेहद कमी है। ऐसे अस्पताल थे, जहाँ डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तय पदों के दस प्रतिशत से भी कम डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ था। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी उपायों की कमी थी और इस कारण आमजन निजी सेवा प्रदाताओं पर आश्रित होने को विवश है।

जनता के पाँच और दस रुपए के सहयोग राशी से इस 100 दिवसीय जवाबदेही यात्रा के ईंधन का खर्च पूरा किया गया। यात्रा के दौरान 9297 समस्याएँ एकत्रित की गई। सर्वाधिक समस्याएँ; कुल 2911 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित थी जो कुल प्राप्त शिकायतों का 30 प्रतिशत थी, क्योंकि राशन वितरण में प्वाइंट आफ सेल मशीनों का इस्तेमाल सही नेटवर्क के अभाव में नहीं हो पा रहा, सिर्फ 45 प्रतिशत लोग ही मशीनों से राशन प्राप्त कर रहे हैं और बाकी लोग नेटवर्क के अभावए अंगूठे के निशान का मिलान ना हो पाना; मेहनत-मजदूरी की वजह से अंगूठे से निशान का मिट जाना एक दिन की मजदूरी का नुकसान इत्यादि अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगस्त 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी चिंता जताते हुए कहा था किए ष्राज्य में लगभग 33ए000 खनन लीजें हैं और लगभग इतनी ही संख्या में अवैध खानें भी हैं। राजस्थान ने पिछले कुछ समय में एक करोड़ चालीस लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूचियों से काट कर नई मिसाल कायम की है। प्रदेश के 1871 स्कूलों में विद्यालयों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हैए जबकि 24ए000 स्कूलों में क्रियाशील शौचालय नहीं हैं। 47ए756 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं 14,388 स्कूल

ऐसे हैं जो सिर्फ एक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। इसके उलट शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्ष 2015 में वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा प्रगतिष्योजना लागू की गई है जो कि बहुउद्देशीय एवं बहुल-माडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन.शिकायतों समस्याओं का निवारण करता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा करना है। इस योजना के उद्घघटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि "आज पूरा विश्व भारत की ओर उत्सुकता से देख रहा है। इसलिये भारत में सुशासन को अधिक कुशल एवं उत्तरदायी होना होगा और प्रगति योजना इस दिशा में एक प्रयास है।" यदि वर्तमान सरकार की इस योजना के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की राज्य स्तरीय जवाबदेही यात्रा आन्दोलन की माँग इस योजना के उद्देश्य की ही पूर्ति करता है और वैसे भी जो आन्दोलन एक राज्य विशेष के जन-संगठनों द्वारा जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से किया जाए तब मूल्यांकन एवं अनुभव बहुत ही सटीक व वास्तविक होते हैं। यदि इसी तरह के जनसहभागीए भ्रष्टाचार विरोधी और लालफीताशाही विरोधी आन्दोलन प्रत्येक राज्य में शुरु हो जाएं तो सुशासन आने में देरी नहीं होगी। वास्तव में इस यात्रा व आन्दोलन ने कागजों व फाइलों के दायरे से बाहर आकर लोकप्रिय प्रभुसत्ता को यथार्थ धरातल पर खड़ा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कानून की पारदर्शिता की विस्तार से व्याख्या की है और कहा है कि सूचना का अधिकार लोगों को संविधान के अनुच्छेद 14 ; समानता अधिकार व अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत मिले मूल अधिकार का ही एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि सूचना का अधिकार, मूल अधिकार के तहत ही मिला हुआ अधिकार है।ष्न्यायपालिका के इस निर्णय के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सूचना के अधिकार; जानकारीद्ध से कहीं आगे बढ़कर आज जवाबदेही और उत्तरदायित्व को भी तय किया जाना आवश्यक है अन्यथा लोकप्रिय प्रभुसत्ता इस व्यापक लोकतंत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता।